# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

## पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 84/2023 उनवान पूसा बनाम रामलाल ::

पूसा पुत्र छीतर जाति जाट उम्र बालिग निवासी ग्राम दादिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।

--प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल पुत्र सूरजमल
2. प्रहलाद पुत्र उगमा
3. भोली पत्नी उगमा
4. सकराम पुत्र उगमा
5. सूरता पुत्री उगमा

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम दादिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।

6. तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

## निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 21.06.2024

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 26.10.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 84/2023 पर दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थीगणों की कब्जे काश्त, खातेदारी व आधिपत्य की भूमि ग्राम दादिया पटवार हल्का दादिया में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1370 रकबा 0.9223 हैक्टेयर है जो कि वर्तमान में प्रार्थीगण तथा नाम दर्ज है जिसके चारों दिशाओं में अप्रार्थीगणों की भूमि है जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 प्रार्थीगण के कब्जाधीन भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थीगणों की भूमि पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण को... है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:... IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार अरांई के समक्ष पेश किया जिसपर पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा दिनांक 13.06.2023 को सीमाज्ञान किया गया था। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण कृषि कार्य कर रहें है किन्तु सीमाज्ञान होने के बावजूद अप्रार्थीगण उक्त भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है।

2. प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि दादिया पटवार हल्का दादिया तहसील अरांई में स्थित खसरा संख्या 1370 का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

3. दिनांक 09.05.2024 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थीगण बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहें जिनके विरूद्व दिनांक 21.06.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई तथा वकील प्रार्थी की पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा प्रकरण में पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थीगण वादअधीन आराजी के संयुक्त खातेदार है तथा उक्त आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी आराजी संख्या खसरा संख्या 1370 रकबा 0.9223 हैक्टैयर को स्वीकार किया जाना उचित है।

## —: आदेश :—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं कृषि आराजी ग्राम दादिया पटवार हल्का दादिया तहसील अरांई में स्थित भूमि खाता संख्या 379 के खसरा संख्या 1370 रकबा 00.9223 हैक्टैयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/—रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस जमा करवाने पर वाद ग्रस्त भूमि ग्राम ग्राम दादिया पटवार हल्का दादिया तहसील अरांई में स्थित भूमि खाता संख्या 379 के खसरा संख्या 1370 रकबा 00.9223 हैक्टैयर का वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार उभयपक्षकारान को नोटिस जारी कर उक्त आराजी का नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाये जाकर आज दिनांक [illegible]2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल [illegible] से कम हो। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:07:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)